कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 340 /अमरोहा/19948/2016/यूपी–136, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 17, 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : अमरोहा में बदायूँ–बिजनौर मार्ग (NH-51) के किमी0 113.100 की दायीं पटरी पर ग्राम–निजामपुर शर्की के खसरा सं0–79 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक–303/22–2, दिनांक 08.08.16

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें/अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट में टाइटिल शीर्षक अंकित नहीं है।

2– संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण का दिनांक अंकित नहीं है व क्षेत्रफल की कटिंग को प्रमाणित नहीं किया गया है।

3– क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में 10 वर्षो के अनुरक्षण एवं प्रतिवर्ष अनुमानित बृद्धि का समावेश करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न करें एवं तद्नुसार ऑनलाइन पार्ट–2 में भी सूचना अपलोड करें।

4– एन0पी0वी0 की गणना में क्षेत्रफल में की गयी कटिंग को प्रमाणित नहीं किया गया है।

5– चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र में क्षेत्रफल में की गयी कटिंग को प्रमाणित नहीं किया गया है।

6– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र पर पत्रांक एवं जिलाधिकारी की सील अंकित नहीं है।

7– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–बी–2.1 एवं 2.4 में की सूचना त्रुटिपूर्ण है।

8– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ई–2, 3 की सूचना त्रुटिपूर्ण है।

9– ऑनलाइन प्रस्ताव के भाग–2 के बिन्दु–5, 13 की सूचना सुसंगत नहीं है।

10– ऑनलाइन प्रस्ताव के भाग–2 में वानस्पतिक घनत्व त्रुटिपूर्ण है।

11– Additional Information Details के बिन्दु–1 में अपलोड सूचना का अंकित विवरण सुसंगत नहीं है।

12– आनलाइन व आफलाइन District Profile में 1980 से हस्तान्तरित कुल वनभूमि के सापेक्ष वृक्षा0 की प्रगति नगण्य क्यों है, सूचना संशोधित करे, अथवा स्पष्ट कारण उल्लिखित करें।

13– उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों एवं विषय–सूची पर पृष्ठ संख्या संशोधित करें।

उपरोक्तानुसार इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा ऑनलाइन एवं आफलाईन सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
17/8/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 340 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना/अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

17/8/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।